



कोर्ट मीडिया

Welcome to the Information Freeway

जस्टिस को कोर्ट मीडिया चाहिए!

लोगों को न्याय के सभी भागों को देखने, सुनने का अधिकार है। यह काम किस प्रकार करता है। एक न्यायालय का उपयोग प्रचार, मनोरंजन, जनसंपर्क या मीडिया सर्कस के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ट्रायल की कोई वीडियो टेपिंग नहीं है। विचारशील सुरक्षा कैमरों का उपयोग किया जाता है। चेहरा ढकने की अनुमति नहीं है।



एमएस R3

ट्रायल की कोई मीडिया वीडियो टेपिंग नहीं है। परीक्षण के दौरान मीडिया कैमरों को अनुमति देने से परीक्षण मनोरंजन में बदल जाता है। कैमरों का सामना करते समय न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, अभियोजक, बचाव पक्ष (बैरिस्टर, वकील) अगर उनके कैमरे नहीं होते तो आरोपी और गवाह उनसे अलग व्यवहार करते हैं। लोग स्वाभाविक कार्य और व्यवहार नहीं करेंगे। माइनिंग के तहत बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, चेहरे का भाव, आवाज का स्वर, भाषा का प्रयोग। अप्राकृतिक छवि बनाने के लिए लोग अलग-अलग कपड़े भी पहनेंगे। अदालत की कार्यवाही की अखंडता को कम करके उन्हें थिएटर में बदलना। अन्यायपूर्ण! स्वीकार्य नहीं है।



परीक्षण से पहले

ट्रायल से पहले मीडिया रिपोर्टिंग आरोपी के नाम, किस कोर्ट, ट्रायल की तारीख तक सीमित है। कोई अन्य रिपोर्टिंग (आरोप, गवाह के नाम, अदालत के अधिकारी, राय, टिप्पणियां ..) कोर्ट की अवमानना है: 'एमएस R3'

परीक्षण के दौरान



ट्रायल के दौरान रिपोर्टिंग पर मीडिया बैन है। मीडिया ब्रेकिंग बैन कोर्ट की अवमानना: 'एमएस R3'

परीक्षण निष्कर्ष के बाद

मीडिया देता है 'विस्तृत परीक्षण रिपोर्ट' परीक्षण निष्कर्ष के बाद: किस पर लगाया गया आरोप (तस्वीर, पता, नियोक्ता, माता-पिता)? क्या कहां आरोप? कोर्ट के अधिकारी। निर्णय, तर्क और पुनर्वास, मुआवजा यदि कोई हो। मीडिया को एक राय और टिप्पणी देनी चाहिए।

ध्यान दे ! न्यायाधीश (मजिस्ट्रेट) नहीं सकता (कभी) किसी भी कारण से मीडिया द्वारा विसृत रिपोर्टिंग को दबाना (राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता, भ्रष्ट कानून..).

निवेदन

एक बार अपील दायर कर दी गई है। ट्रायल से पहले, ट्रायल के दौरान और ट्रायल के बाद की मीडिया रिपोर्टिंग नियम लागू होते हैं।

विसृत परीक्षण रिपोर्टिंग की स्वतंत्रता पवित्र है !

दमन आदेश का अर्थ है 'दोषी' की रक्षा करना। उनकी रक्षा करना समाज के लिए खतरा है। समुदाय को एक 'दोषी' को जानने का अधिकार है (तस्वीर, पता, नियोक्ता, माता-पिता)', एक शिकार (एस) विवरण। अपील का परिणाम और तर्क ('विसृत परीक्षण रिपोर्ट'). कोई इनकार (अपील के बाद जज दमन आदेश) इस गतिविधि के प्राप्त **एमएस R7**'

ध्यान दे! समुदाय को 'दोषी के विवरण' जानने का अधिकार है। यह समुदाय को बुराई, अपराध से बचाने में मदद करता है। समुदाय को एक 'पीड़ित' को जानने का अधिकार है (एस) 'विवरण। यह एक समुदाय को अधिकतम सहायता देने में सक्षम बनाता है।

कोई भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट ट्रायल के बाद दमन आदेश जारी करता है, अपील को न्यायपालिका से हटा दिया जाता है। उनके पेशेवर क्रेडेंशियल रद्द कर दिए गए हैं, उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है **'एमएस R7'**.

ध्यान दे! अपराध करने वाले दमन आदेश द्वारा संरक्षित कोई भी दोषी (एस). कोई भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट जिसने यह दमन आदेश जारी किया है, वह संघ द्वारा दोषी है (समुदाय के लिए खतरा). उनकी पेशेवर साख रद्द कर दी जाती है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है **'एमएस R7'**.

दमन आदेश द्वारा संरक्षित कोई भी पीड़ित। आवश्यक सहायता नहीं मिल रही है। कोई भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट जिसने यह दमन आदेश जारी किया है, वह समुदाय के एक सदस्य के प्रति कर्तव्य की उपेक्षा का दोषी है। उनके पेशेवर क्रेडेंशियल रद्द कर दिए गए हैं, उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है **'एमएस R7'**.



समाज को न्याय चाहिए!

न्याय एक सामुदायिक कर्तव्य!

न्याय एक समुदाय का अधिकार!



1 ईश्वर की महिमा और मानव जाति की भलाई के लिए

यूनिवर्स कस्टोडियन गार्जियंस द्वारा ऑल मीडिया इंफॉर्मेशन फ्रीवै एक सामुदायिक सूचना प्रदाता है।